F.No. 15-59/1/NMA/HBL-2021

Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Amleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India, Bhopal Circle **www.asibhopal.nic.in**

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **hbl-section@nma.gov.in** latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T.Paite)
Director, NMA
11th August, 2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश में कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह की मंदिरों के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for **Amleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh**

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के नियम (22) के साथ पठित, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप नियम बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह की मंदिरों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक के लिए निम्नलिखित मसौदा धरोहर उप नियम, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते और कार्य निष्पादन), नियम 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई- मेल किए जा सकते हैं।

कथित मसौदा उप- नियमों के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा धरोहर उप-नियम

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(i) इन उप-नियमों को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश में कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह की मंदिरों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप नियम, 2020 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं: -

(1) इन उप नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह, या कोई गुफा, शैल-मूर्तियां शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तिसंगत रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से कम रैंक का नहीं है;

(ङ) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 20 च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(च) “सक्षम प्राधिकारी” से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त से कम रैंक का न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से धारा 20 ग, 20 घ और 20 ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न - भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(छ) “निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और पुनरुद्धार या नालियों और जल-निकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं।

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) “सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" जिसमें- किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, शामिल है;

(ट) “स्वामी" के अंतर्गत निम्न व्यक्ति शामिल हैं

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी की संपत्ति के हक का उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) “परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20 क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) “संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) “संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) “विनियमित क्षेत्र" से धारा 20 ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुर्ननिर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान है;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनःनिर्माण नहीं होंगे।

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय ॥

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि: धरोहर उप नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र**, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र**, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 **धरोहर उप नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध** : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 20 ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलऔर अवशेष (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य)

नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 **आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियॉ**: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक- ओमकारेश्वर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों की स्थल की अवस्थिति एवं विन्यास

3.0 संस्मारक स्थल की अवस्थिति एवं विन्यास

- संस्मारक जीपीएस निर्देशांक 22° 14.731.71" उत्तरी अक्षांश; 76° 09′02.79" पूर्वी देशांतर पर स्थित है

मानचित्र 1. ओम्कारेश्वर जिला खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों की स्थल को दर्शाने वाला गूगल मानचित्र

- ममलेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसे अमरेश्वर या अमलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अमरेश्वर का अर्थ है अमर देवता या अमर या देवों का स्वामी।
- दूसरा मंदिर, ओंकारेश्वर नदी के उस पार एक द्वीप पर है जिसे मांधाता या शिवपुरी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिगम् के अनुसार, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
- ओंकारेश्वर/ममलेश्वर इंदौर और खंडवा मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
- मंदिर से बस अड्डा लगभग 2 किमी की दूरी पर है।
- ओंकारेश्वर/ममलेश्वर मंदिर से 15 किमी की दूरी पर निकटतम रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन है।
- मध्य रेलवे का दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-मुंबई मुख्य लाइन पर खंडवा निकटतम रेलवे स्टेशन है
- निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर है, जो ओंकारेश्वर से लगभग 138 किमी दूरी पर है।

3.1 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों की संरक्षित चारदीवारों के विवरण **अनुबंध-I** में देखे जा सकते हैं।

3.1.1 एएसआई के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों की अधिसूचना **अनुबंध-II** में देखी जा सकती है।

3.2 संस्मारक/स्थल का इतिहास

संस्मारक को अमरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसमें वास्तु-कला संबंधी पत्थर के अच्छे काम हैं। महारानी अहिल्याबाई होल्कर जिनकी मृत्यु 1795 में हुई थी, के समय से होल्कर राज्य द्वारा वेतन पाले वाले 22 ब्राह्मण प्रतिदिन *लिंगार्चन* पूजा करते थे।

प्रत्येक ब्राह्मण को 1300 छोटे छेद वाले लकड़ी के डिब्बे प्रदान किए गए थे। शिवलिंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक छेद में बहुत छोटी लघु मिट्टी की मिट्टी डाली जाती थी और जब लगभग 14300 *लिंगों* का निर्माण और पूजा हो जाता था, तो वे इसे नर्मदा नदी में विसर्जन कर देते थे। 20 वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में ब्राह्मणों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई थी और वर्तमान में यह संख्या केवल 5 रह गई है। मंदिर की दीवार में शिव महिमा स्तोत्र का शिलालेख है जिसमें 1063 ईसवी सन अंकित है।

3.3 संस्मारक का विवरण (वास्तुकला संबंधी विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)

पवित्र ज्योतिर्लिंग के अलावा, ममलेश्वर उर्फ अमरेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने स्थित है। 11 वीं शताब्दी में निर्मित, ममलेश्वर मंदिर अपने समृद्ध इतिहास और भक्तों के बीच सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को वास्तुकला की भूमिजा शैली पर बनाया गया है। *शिखर* में चार रथ हैं जिसमें बीच के रथों को चैत्य डॉर्मर्स की जाली से सजाए गए हैं। मंदिर की एक अन्य विशेषता *सुकनसा* है। मंडप को घंटी की छत के रूप में दर्शाया गया है। खंभे चौकोर आकार के हैं और अत्यधिक अलंकृत हैं और जिसमें कुछ सजावट दिखाते हैं। दीवारें अत्यधिक अलंकृत हैं। योजना के रूप में मंदिर में *पंच रथ* है और ऊपर की तरफ एक तारांकित नक्शा है। इसमें एक एकांत घर, एक बरसाती और तीन प्रमुख खम्भों वाले मंडप शामिल हैं। इसमें सामान्य *मंडप* और एक खम्भा है।

3.4 वर्तमान स्थिति

3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का मूल्यांकन

इस संस्मारक का परिरक्षण अच्छे से किया गया है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों और कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या

प्रति दिन लगभग 10 हजार आगंतुक संस्मारक पर आते हैं। शिवरात्रि जैसे विशेष अवसर पर लगभग 1.5 लाख आगंतुक आते हैं और लगभग 5 लाख आगंतुक कुंभ मेले में आते हैं जो उज्जैन मंदिर से जुड़ा हुआ है। पूरणमासी, अमावस, कार्तिक आदि अवसरों पर लगभग एक लाख आगंतुक स्मारक पर आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

आवासीय और वाणिज्यिक भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-1984 में निर्दिष्ट विकास मानक खंडवा विकास के लिए एक समान होंगे।

विकास के सामान्य नियम मध्य प्रदेश भूमि विकास नियमावली 2012 के तहत लागू किए गए हैं। यह अधिनियम मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (1973 की सं 23) के तहत परिभाषित है।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश

इन्हें **अनुबंध- III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची,नियम 21 (1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख में परिभाषितसीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.0 ओमकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों की रूपरेखा योजना

इसे **अनुबंध-IV** में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संस्मारकों का कुल संरक्षित क्षेत्र 1421.65 वर्गमीटर है।
- संस्मारकों का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 47216.57 वर्गमीटर है

- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 327229.36 वर्गमीटर है

मुख्य विशेषताएं:

- दक्षिण और पूर्व दिशा में खुली भूमि है, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर और पश्चिम दिशा में कुछ भवन हैं।
- दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा में खुली भूमि है और सरकारी कार्यालय से जुड़ा एक बगीचा है। पश्चिम दिशा में कुछ घर और व्यावसायिक भवन हैं जबकि विनियमित क्षेत्र की उत्तर दिशा में नर्मदा नदी बहती है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- **उत्तर**: दुकानों के रूप में व्यावसायिक इमारतें और मंदिर जैसे धार्मिक भवन इस दिशा में स्थित हैं।
- **दक्षिण**: दक्षिण दिशा में पुरानी संरचनाएं और काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित जबकि दक्षिण-पूर्व दिशा में जीआई शीट्स से घिरी हुई अस्थायी संरचना है।
- **पूर्व**: जीआई शीट से ढका हुआ कुछ अस्थायी ढांचे इस दिशा में निहित हैं। इंद्रेश्वरी मंदिर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है।
- **पश्चिम**: इस दिशा में निवास स्थान है जिसकी अधिकतम ऊंचाई भूतल + 3 तल है जो 12.75 मीटर है।

विनियमित क्षेत्र:

- उत्तर: इस दिशा में गौ मुख मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी स्थित है। उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी दुकानें हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में विष्णु मंदिर, धर्मशाला, भोजनालय, दुकानें जैसे आवासीय भवन, धार्मिक भवन हैं।

- दक्षिण: इस दिशा में मांधाता कॉलोनी है। इस दिशा में दंडी आश्रम, मंदिर, कुटिया और जीआई शीट से घिरे हुए ढांचे हैं।
- पूर्व: इस दिशा में व्यावसायिक इमारतें जैसे दुकानें, अतिथि गृह, होटल, भोजनालय, वृद्धाश्रम हैं। इस दिशा में मंदिरों के रूप में धार्मिक भवन हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में जीआई शीट से ढंकी हुई संरचनाएं हैं। इस दिशा में भोजनालय, धर्मशाला है।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का वर्णन

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर**: इंद्रेश्वरी मंदिर के आसपास खुला क्षेत्र है और उसके आसपास खुली दुकानें है।
- **दक्षिण**: इस दिशा में घने वृक्षों सहित विशाल खुली भूमि है।
- **पूर्व**: इस दिशा में बहुत बड़ी खुली भूमि है।
- **पश्चिम**: इस दिशा में घने वृक्षों वाला खुला क्षेत्र है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर**: यह दिशा प्रमुख रूप से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और नदी के किनारे खुला क्षेत्र है।
- **दक्षिण**: मांधाता कॉलोनी के चारों ओर खुली भूमि और मांधाता कॉलोनी के बीचों - बीच एक बड़ा बगीचा है।
- **पूर्व**: इस दिशा में कम खुला स्थान है।
- **पश्चिम**: भवनों के चारों ओर खुले स्थान उपलब्ध हैं।

5.1.4 परिचालन के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि

स्मारक के परिसर के भीतर कोई सड़क, फुटपाथ या मार्ग नहीं है। परिसर के भीतर पूरे मैदान में शिला-पट्ट फर्श (फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग) है।

5.1.5 भवन की ऊँचाई (क्षेत्रवार)

- उत्तर- अधिकतम ऊँचाई 6.7 मीटर।
- दक्षिण: अधिकतम ऊँचाई 7 मीटर।
- पूर्व: अधिकतम ऊँचाई 13.5 मीटर।
- पश्चिम: अधिकतम ऊँचाई 13.8 मीटर।

5.1.6 परिरक्षित/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य के संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि मौजूद हो

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य के संरक्षित या कोई अन्य स्थानीय निकाय संरक्षित स्मारक मौजूद नहीं है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं

स्मारक में आगंतुकों के पीने के लिए पानी की सुविधा प्रदान की गई है।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच

स्मारक के प्रवेश द्वार तक एक पक्की सड़क के माध्यम से स्मारक तक सीधे पहुंच सकते है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं {(जल आपूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र (स्टोर्मवाटर ड्रेनेज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)}

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति, पानी की निकासी, जल-मल निकासी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस स्मारक में आने वाले आगंतुकों के लिए विशेष पार्किंग उपलब्ध है जो स्मारक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण

क्षेत्रीकरण, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 और ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 के अनुसार है।

अध्याय VI

संस्मारकों का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

यह संरचना परमार काल के हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। इसके विभिन्न संरचनात्मक भाग चाहे बरकरार हों या टुकड़ों में, परमार काल की 11 वीं शताब्दी की वास्तुकला की कहानी बताते हैं। परमार शैली की उत्पत्ति 1063 ईसवी में मालवा में हुई थी, क्योंकि यह ओंकार मांधाता में अमरेश्वर मंदिर के न्यूक्लियस द्वारा सत्यापित है। यह स्थान भूमिजा मंदिरों के लिए एक शानदार केंद्र बन गया है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)

स्मारक आधुनिक उपनिवेश का हिस्सा है जिसमें प्रतिषिद्ध और विनियमित के दोनों क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण परिलक्षित होता है। चूंकि शहर का विस्तार हो रहा है, इसलिए, प्रतिषिद्ध और विनियमित के दोनों क्षेत्र अतिक्रमण, निर्माण और विकासात्मक कार्यकलापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता

स्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित के दोनों क्षेत्रों से बहुत कम दिखाई देता है। यह आधुनिक निर्माण के पीछे होने के कारण ढक गया है।

6.3 पहचान योग्य भूमि उपयोग

दुकान, होटल, रेस्तरां, धर्मशाला आदि के रूप में इस भूमि का उपयोग आवासीय, धार्मिक और वाणिज्य के लिए किया जाता है।

6.4 संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातात्विक विरासत अवशेष

इस स्मारक के आसपास कोई अन्य पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं, इस बात की संभावना है कि मंदिर परिसर के भीतर या बाहर कुछ अवशेष दफन हो गए हों।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य

यह स्मारक उत्तरी दिशा में विशाल जल निकाय सहित अर्ध-शहरी सेटिंग के भीतर परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग हैं और यह पर्यावरणीय प्रदूषण से स्मारक को सहायता करने में मदद करता है

स्मारक आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है अतः इसका सांस्कृतिक परिदृश्य और प्राकृतिक परिदृश्य लुप्त हो गया है।

6.7 खुले स्थान और निर्मित भवन का उपयोग

पूर्व और दक्षिण (दिशाओं) में खुली बंजर भूमि और भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि है।

6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप

अप्रैल 2015 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ था, जिसके दौरान दुनिया भर के लाखों भक्त महाकालेश्वर मंदिर में एकत्र हुए थे और उसी समय मम्लेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर भी गए थे।

यहां आयोजित विभिन्न मेलों जैसे श्रावण मेला, शिवरात्रि, अमावस, पूर्णिमा आदि के दौरान कई श्रद्धालु और आगंतुक इस स्मारक में आते हैं।

6.9 स्मारक से और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज

आधुनिक निर्माणों/इमारतों के बनने के कारण स्मारक किसी भी दिशा से दिखाई नहीं देता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला

स्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला नहीं है।

6.11 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा य़था-उपलब्ध विकासात्मक योजना

इसे **अनुबंध V** में देखा जा सकता है।

6.12 भवन संबंधित मापदंड:

(क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (छत संरचनाएं जैसे ममटी, पैरापेट, आदि सहित):

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई 7.5 मीटर तक सीमित होगी (सब कुछ मिलाकर)।

(ख) तल क्षेत्र: एफएआर स्थानीय उप-नियमों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोग: स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) अग्रभाग डिजाइन: अग्रभाग का नक्शा स्मारक के माहौल से मेल खाना चाहिए।

(ङ) छत डिजाइन: सपाट छत नक्शे का प्रयोग किया जा सकता है।

(च) भवन निर्माण सामग्री: पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

(छ) रंग: स्मारक के साथ मेल खाने वाले हल्के रंगों का उपयोग किया जा सकता है।

6.13 आगंतुक के लिए सुख-सुविधाएं:

स्थल पर आगंतुक के लिए रोशनी, लाइट और साउंड शो, शौचालय, विवेचन-केंद्र, काफीहाउस, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, ऑडियो विजुअल केंद्र, दिव्यांगजन के लिए रैंप, वाई-फाई और ब्रेल जैसी सुख- सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

क) सेटबैक

- सामने की भवन का किनारा मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। भवन के चारो ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) या आंतरिक बरामदा और चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

ख) अनुमान (प्रोजेक्शंस)

- सड़क के निर्बाध रास्ते से आगे भूमि स्तर पर "बाधा मुक्त" पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से निर्बाध आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में संकेतक (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन लगाने का अनुमेय नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा उत्पन्न न करे और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य सिफारिशें

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/quidelines/Guidelines-Cultural Heritage.pdf में देखे जा सकते है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Amleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh", prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Amleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh.
(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated area of the monuments.
(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act provided that the Central Government may, by notification in the Official

Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the

construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – Amleshwar alias Mamleshwar Group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar Distt- Khandwa Madhya Pradesh

3.0 Location and Setting of the Monuments

- The monument is located at GPS Coordinates 22°14′31.71"N; 76°09′02.79"E.

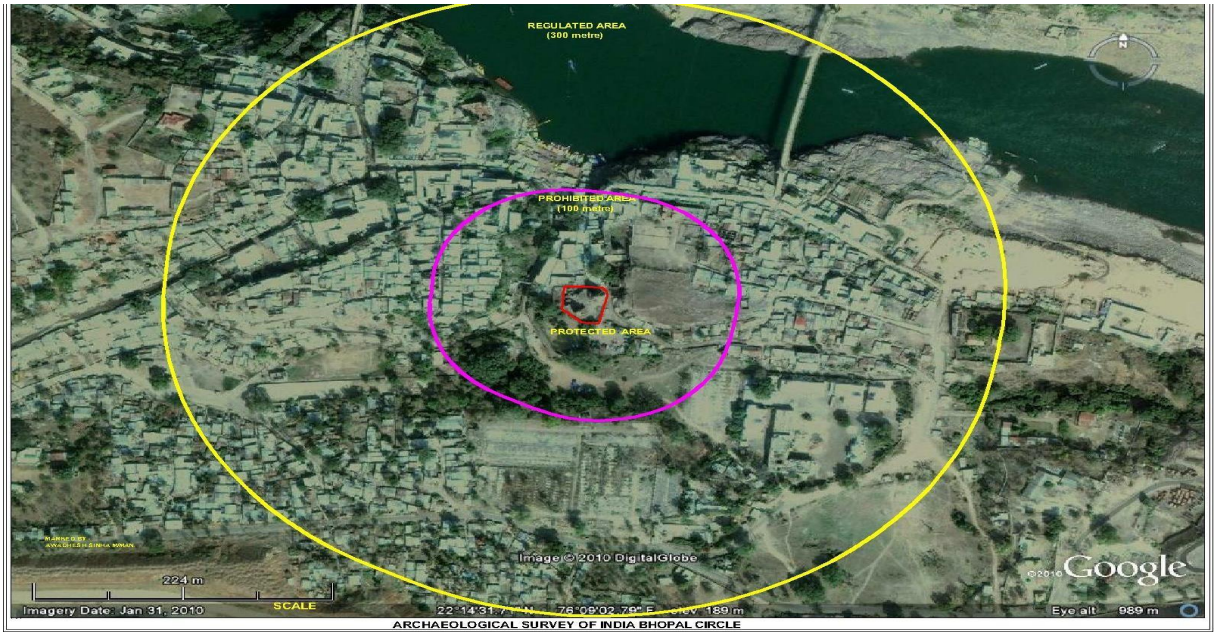

Map 1. Google map showing location of Amleshwar alias Mamleshwar group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar Distt-Khandwa Madhya Pradesh

- Mamleshwar Temple, Omkareshwar is located on the south side of Narmada River and is also called the Amreshwar or Amleshwar Temple. Amareshwar means Immortal lord or lord of the Immortals or Devas.
- The other temple, Omkareshwar is across the river on an island called Mandhata or Shivapuri. As per Dwadash Jyotirligam, Omkareshwar is one of the Jyotirlingas.
- Omkareshwar/Mamaleshwar is well connected by road to Indore and Khandwa route.
- The bus stand is at a distance of about 2km from the temple.
- The nearest Railway Station is Omkareshwar Railway Station at 15 km distance from Omkareshwar/Mamaleshwar Temple.
- Khandwa is the nearest railway station on the Delhi-Chennai, Delhi-Mumbai main line of the Central Railway

- The nearest Airport is Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore, about 138 km from Omkareshwar.

3.1 Protected boundary of the Monument:

Amleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I.**

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification ofAmleshwar alias Maleshwar Group of Temples including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradeshmay be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

The monument is also called Amreshwar Temple and has good architectural stone work. Since the time of Maharani Ahilyabai Holkar who expired in 1795, 22 Brahmins paid by the Holker state, daily performed *Lingarchan* Puja. Each Brahmin was provided with a wooden board having 1300 little holes. In each they put very small miniature clay lingam to represent *SivaLingas* and when nearly 14300 *lingas* were manufacture and worshipped, they used to be submerge it in the Narmada. In the early part of the 20th century the number of Brahmins was reduced to 11 and at present the number is only 5. The wall of the temple contains the inscription of Shiva Mahimna Stotra dated 1063 CE.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.)

Apart of the sacred Jyotirlinga, Mamleshwar alias Amreshwar Temple is located right opposite to the Omkareshwar Temple on the south bank of Narmada River. Built in 11th century, Mamleshwar Temple is famous for its rich history and beautiful architecture amidst devotees. The temple is built on Bhumija style of architecture. The *shikhara* has four spines decorated with mesh of chaitya dormers on the central Rathas.

Another characteristic of the temple is *Sukanasa*. The *mandapa* shows the form of bell roof. The pillars are square shaped and highly ornamented and show a few moldings. The wall faces are highly ornamented. The temple is *panch ratha* in plan and in elevation has a starshaped layout. It consists of a sanctum, a vestibule and a *mandapa* with three cardinal porches. It possesses common *mandapa* and a porch.

3.4 Current Status:

3.4.1 Condition of monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Around 10 thousand visitors visit the monument per day. Approximately 1.5 lakh visitors visit on special occasion like *Shivratri* and around 5 lakh visitors visit on *Kumbh Mela which* is linked with the Ujjain Temple. Near about one lakh visitors visit the monument on occasions like Purnamashi, Amavasya, *Kartik* etc.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing Zoning if any in the local area development plans:

The development standard specified in Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam-1984 for residential and commercial building construction will be same for Khandwa development.
The General rules of development are invoked under the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam Rules 2012. The Act defined, under The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Amleshwar alias Mamleshwar group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, -Khandwa Madhya Pradesh

It may be seen at **Annexure- IV.**

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments is 1421.65 sq.m.
- Total Prohibited Area of the monuments is 47216.57 sq.m
- Total Regulated Area of the monument is 327229.36 sq.m

Salient Features:

- Open land lies in south and east direction, few buildings lie in north and west direction of the Prohibited Area.
- Open land lies in south-east and south direction and a garden attached with govt. office, few houses and commercial building lies in west direction while Narmada river flows in north direction of Regulated Area.

5.1.2 Description of built up area :

Prohibited Area:

- **North:** Commercial buildings in the form of shops and religious buildings such as temples lies in this direction.
- **South:** Old structures & Kashi Vishwanath Temple lies in south direction while temporary structure covered with GI sheets lies in south-east direction.
- **East:** A few temporary structures covered with GI sheets lies in this direction. A temple namely Indeshwari lies in north-east direction.
- **West:** Residences lies in this direction with maximum height going upto G+3 that is 12.75m.

Regulated Area:

- **North:** Gau moukh Temple, Bhubaneshwar Temple, Narmada River lies in this direction. Temporary shops approximately 2.5m high lie in north-east direction. Residential building, religious building such as Vishnu Mandir, Dharamshala, eating joints, shops lies in the north-west direction.
- **South:** Mandhata Colony lies in this direction. Dandi Asharam, Temple, shed and structures covered with GI sheets lie in this direction.
- **East:** Commercial buildings like shops, guest houses, hotel, bhojnalya, old age home lie in this direction. Religious buildings in the form of temples lie in this direction**.**
- **West:** Structures covered with GI sheets lies in this direction. Bhojnalya, Dharamshala and lies in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces :

Prohibited Area

- **North:** Open area is around Indeshwari temple and around the open shops.
- **South:** Vast open land with dense trees lies in this direction.
- **East:** Vast open land lies in this direction.
- **West:** Open area with dense trees lies in this direction.

Regulated Area

- **North:** This direction is majorly covered with Narmada River and open area at the river bank.
- **South:** Open land is left around Mandhata Colony and a big Garden lawn lies within the Mandhata colony.
- **East:** Less open space is found in this direction.
- **West:** Open spaces are available around the buildings.

5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc. :

There is no road, footpath or pathway inside the premises of the monument. The whole ground inside the premises has flagstone flooring.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise) :

- **North:**The maximum height is 6.7m.
- **South**: The maximum height is 7m.
- **East:**The maximum height is 13.5m.
- **West:** The maximum height is 13.8m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities if available within Prohibited/Regulated Area.

There is no state protected or any other local body protected monument present in the Prohibited and Regulated Area of the monument.

5.1.7 Public amenities:

Drinking water facility has been provided to the visitors at the monument.

5.1.8 Access to monument:

Monument is directly approached by a pukka road up to the entry point of the monument.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.) :

Water supply, water drainage. Sewage drainage is available in the Prohibited and Regulated Area of the monument. Special parking is available for the visitors coming to visit this monument by the State government which is about 500 m away from the monument.

5.1.10 Proposed zoning of the area :

Zoning is as per Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam -2012 and Omkareshwar Vikas Yojna 2021.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The structure is a good example of Hindu Temple Architecture of Parmara period. Its various structural parts whether intact or in fragments explains the story of 11^{th} century architecture of Parmara period. The Parmara style originated in 1063 CE in Malwa , as it is attested by the nucleus of the Amareshwar Temple at Omkar Mandhata. This place became a prolific center for Bhumija temples.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.) :

The monument forms part of the modern settlement which is surrounded by modern constructions within both Prohibited and Regulated Areas. As the city is expanding, therefore, both the Prohibited and Regulated Area have become more sensitive towards encroachment, construction and developmental activity.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is hardly visible from both Prohibited and Regulated Areas. It is hidden behind the modern construction.

6.3 Land use to be identified:

The land use is residential, religious and commercial in the form of shops, hotels, restaurants, dharamshala etc.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There are no other archaeological remains found near the vicinity of this monument, there is a possibility that there might be some remains buried within or outside the temple premises.

6.5 Cultural landscapes:

This monument is an integral part of the landscape within the semi-urban setting with a huge water body on the northern direction.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution :

The monument is surrounded by the modern constructions hence its cultural landscape and natural landscape has been lost.

6.7 Usage of open space and constructions:

In east and south (directions) there is open barren land and proposed land for construction.

6.8 Traditional, historical and cultural activities :

The Simhastha Kumbha Mela took place in Ujjain in April 2015, during which millions of devotees from around the world gathered at Mahakaleshwar Temple and at the same time visited Mamleshwar Omkareshwar Temple.

Several devotees and visitors visit the monument during different melas organized here like Shrawan mela, Shivratri, Amavasya, poornima etc.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas :

The monument is not visible from any of the direction due to modern constructions.

6.10 Traditional architecture :

There is no traditional architecture found around the monument.

6.11 Developmental plan as available by the local authorities :

It may be seen at **Annexure V.**

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.):

The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.5 mtr. (All inclusive)

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design: The façade design should match the ambience of the monument.

(e) Roof design: Flat roof design may be used.

(f) Building material: Traditional building material may be used.

(g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound shows, toilets, interpretation center, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual center, ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the ‘obstruction free’ path of the street. The streets shall be provided with the ‘obstruction free’ path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुबंध

ANNEXURES

अनुबंध-I
ANNEXURE-I

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह की मंदिरों की संरक्षित चारदीवारी

Protected boundary of Amleshwar alias Mamleshwar group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh

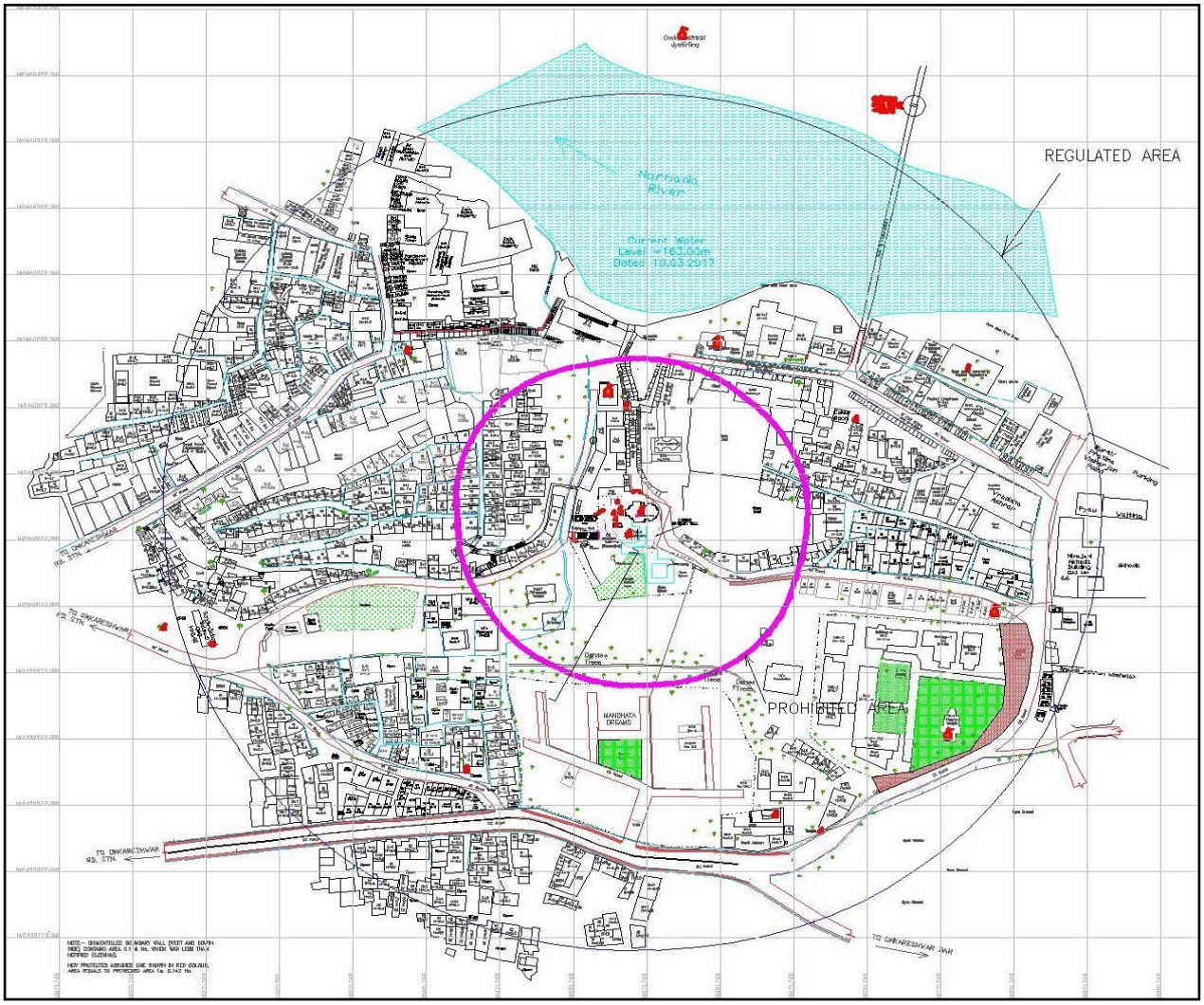

अनुबंध-II

अनुबंध-II

ANNEXURE-II

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिर की अधिसूचना

Notification of Amleshwar alias Mamleshwar group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh

S.O. 1812.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Education No. S.O. 1616, dated the 27th May, 1966, the Central Government gave notice of its intention to declare the ancient monuments specified in the Schedule below to be of national importance;

And whereas no objections have been received to the making of such declaration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monuments to be of national importance.

'THE SCHEDULE'

Tehsil	Locality	Name of monuments	Revenue plot number to be included under protection.	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
4	5	6	7	8	9	10	11
Khandwa	Goladpura (Omkar Mandhata)	Amleshwar *alias* Mamleshwar group of temples including Kaleshwar temple together with adjacent land comprised in part of survey plot No. 19/1 as shown in the plan reproduced below.	Part of survey plot No. 19/1 as shown in the plan reproduced below.	0·35 acres	*North* :—Road, private hut and Siwha Math in remaining portion of survey plot No. 19/1. *East* :—Road and remaining portion of survey plot No. 19/1. *South* :—Open land and garden in remaining portion of survey plot No. 19/1. *West* :—Siwha Math and garden in remaining portion of survey plot No. 19/1.	Private	Under religious worship

अनुबंध-III

स्थानीय निकाय दिशा-निर्देश

1. नए निर्माण, सेटबैक के लिए विनियमित क्षेत्र सहित अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई

ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 के लिए नियम निहित हैं, जिनका उल्लेख मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम -1973 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम -2012 में किया गया है।

नए आवासीय क्षेत्र के लिए विकासात्मक नियम:

1. भूखंड की चौड़ाई और गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1.3 होना चाहिए।
2. एफएआर और खुले स्थान भूखंड के आकार के अनुसार होगी जिसे निम्नलिखित तालिका 2 में उल्लेख किया गया है।
3. भवन की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर होगी।

तालिका 1

क्रम सं	भूखंड क्षेत्र मीटर में	सतह क्षेत्र मीटर में	ग्राउंड कवरेज क्षेत्र प्रतिशत में	मार्जिनल खुला स्थान मीटर में				एफएआर
				सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2	
1	4.0x8.0	32	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.50
2	4.0x12.0	48	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
3	5.0x15.0	75	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
4	7.0x15.0	105	50	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
5	9.0x15.0	135	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6	11.0x18.0	200	50	3.0	2.5	2.5	0.0	1.50
7	12.0x18.0	216	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25

क्रम सं	भूखंड क्षेत्र मीटर में	सतह क्षेत्र मीटर में	ग्राउंड कवरेज क्षेत्र प्रतिशत में	मार्जिनल खुला स्थान मीटर में				एफएआर
				सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2	
8	12.0x24.0	288	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9	15.0x24.0	360	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10	15.0x27.0	405	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.00
11	18.0x30.0	540	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.00
12	20.0x30.0	600	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.00
13	25.0x30.0	750	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.00

टिप्पणी:

1. इसके अलावा, भवन की अधिकतम ऊंचाई विकास नियम 1984 के अनुसार होगी।
2. कार पार्किंग का स्थान न्यूनतम 240 वर्गमीटर होनी चाहिए जो 288 वर्ग मीटर से अधिक हो सकती है।

बहु-मंजिला भवन का निर्माण:

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार बहु-मंजिला भवन के निर्माण के लिए नियम संख्या 42 लागू होगा

विकसित क्षेत्र में नए निर्माण या पुनर्निर्माण के नियम:

विकसित क्षेत्र के लिए विनिर्देश जहां नए निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाना है, को तालिका 4 में उल्लेख किया गया है

तालिका 2

क्रम सं	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र वर्ग मीटर में	भूमि आवृत्त क्षेत्र प्रतिशत में	एफएआर
1	90 तक	75	1.5
2	90 से 180	66	1.25
3	180 से अधिक	60	1.25

भूखंडों और अन्य मानदंडों का आकार। - (1) **आवासीय**

1. प्रत्येक भूखंड में विकास के प्रकार के अनुरूप न्यूनतम आकार और सीमा होगी, जैसा कि नीचे तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 3

प्रकार	**भूखंड आकार (वर्ग**	**अग्रभाग (मीटर)**
1	(2)	(3)
विलगित भवन	225 से अधिक	12 से अधिक
अर्ध-विलगित भवन	125-225	8 to 12
पंक्तिबध (रो टाइप) भवन	50-225	4.5 to 12

(2) **औद्योगिक**। भूखंड का आकार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) **अन्य उपयोग भूमि-** व्यवसाय, शैक्षिक, व्यापारिक, सभा, सिनेमा/थिएटर, मंगल कर्यालय/विवाह वाटिका, ईंधन भरने वाले स्टेशनों आदि जैसे अन्य उपयोगों के लिए भवनों का न्यूनतम आकार खंड (झ) के अध्यधीन प्राधिकारी के अनुसार तय किया जाएगा।

i. सभा हॉल/थिएटर; निर्धारित सीटों सहित सार्वजनिक मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभा भवन/सिनेमाघरों के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार भवन में बैठने की क्षमता के आधार पर 3 वर्ग मीटर प्रति सीट की दर से होगा।

2. स्थानीय निकायों के पास विरासत उप नियम/विनियम/दिशा-निर्देश, यदि कोई उपलब्ध हो तो

ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 के अनुसार, धरोहर उपनियम/उल्लिखित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

पुरातात्विक विरासत स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्थल हैं। इसका निर्माण/विकास 100 मीटर की परिधि में पूरी तरह से प्रतिषिद्ध होगा, और 100 मीटर के बाद, 200 मीटर की परिधि तक संवेदनशील क्षेत्रों के लिए निर्माण/विकास की अनुमति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विनियम विभाग से प्राप्त होगी:

1. संवेदनशील क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्यकलाप निम्नानुसार हैं: - नदी, नालों और तालाबों के किनारों पर बचे हुए खुले क्षेत्र का उल्लेख मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1984 में किया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार, नदी के तट पर न्यूनतम 50 मीटर खुली भूमि छोड़ना अनिवार्य है।

2. मिट्टी, मल, नाली और सेप्टिक टैंक, जल निकाय में शामिल नहीं होंगे।

3. नियंत्रण क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अप्रत्यक्ष मनोरंजन, संवर्धन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण पर व्यय और पर्यटकों के अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे। नियंत्रण क्षेत्र के बाहर खुले क्षेत्रों में, कुछ श्रेणियों के लिए निम्नलिखित निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य प्रतिषिद्ध होंगे:

   क) तालाबों से सटे हुए भवनों का निर्माण करते समय उनके लिए अलग-अलग सेप्टिक टैंक, ग्रिडल स्टूल लाइन से जुड़ा होना आवश्यक है।

   ख) जब तक सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं होती तब तक नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले भवनों, जमीन की सीमा में वृद्धि, एफएआर की अनुमति नहीं होगी।

   ग) तालाबों की सुरक्षा और पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए कार्य स्वीकार्य होंगे।

   घ) ऐतिहासिक महत्व।

   ङ) नागरिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भवन।

   च) निजी भूमि में आने वाली विरासत भवन।

   छ) समय-समय पर खोजे गए ऐतिहासिक भवन

शहरी विरासत क्षेत्र के लिए विनियम:

स्मारिका और विरासत भवनों के परिरक्षण और सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। जब तक कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं हो जाता, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित और सूचीबद्ध विरासत भवन क्षेत्र निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा:

1. प्रत्येक विरासत भवन का प्रतिषिद्ध क्षेत्र इसकी परिधि के सौ मीटर तक फैला होगा।

2. चयनित और सूचीबद्ध विरासत भवनों को निजी कब्जे में होने पर भी नष्ट या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विरासत संरचनाओं को शहर के सामान्य भवन उप नियमों से शासित नहीं किया जाएगा।

4. प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित भवन की ऊंचाई और नक्शा विरासत भवनों की वास्तुकला के समान होनी चाहिए।

5. सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात प्रतिषिद्ध क्षेत्र में परिदृश्य विकास स्वीकार्य होगा जिसमें परिवेश में वृक्षारोपण, भवन के चारों ओर पार्किंग को यथोचित रूप से डिजाइन किया जाना स्वीकार्य होगा।

3. खुला स्थान

खुला स्थान (भूखंड के भीतर)

सामान्य

1) मनुष्य के निवास स्थान के लिए बनाए गए प्रत्येक कमरे में आंतरिक या बाहरी रूप से खुला स्थान या ऐसे आंतरिक या बाहरी खुला स्थान के साथ एक खुला बरामदा हो।

2) प्रकाश और वेंटिलेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुला स्थान। भवन के अंदर या आस-पास के खुले स्थानों के साथ कमरे में प्रकाश और वेंटिलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करना और यदि भवन के सामने, पीछे या किनारों पर गलियों के निर्माण का मामले हो, तो प्रदान किया गया खुला स्थान भविष्य में ऐसी सड़के चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त होगी।

3) प्रत्येक भवन या विंग के लिए अलग से खुला स्थान। प्रत्येक भवन के लिए खुला स्थान अलग या पृथक होंगे और जहां एक भवन में दो या दो से अधिक विंग

होंगे, वहा प्रत्येक विंग में प्रकाश और वेंटिलेशन के प्रयोजनों के लिए अलग या पृथक खुला स्थान होंगे।

4) 7 मीटर से अधिक ऊंचाई के सहायक और मुख्य भवनों बीच अंतर जो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। 7 मीटर ऊंचाई तक की भवनों के लिए इस तरह के अंतर की आवश्यकता नहीं होगी।

आवासीय भवन - खुला स्थान

12.5 मीटर तक की ऊँचाई वाले भवनों के लिए बाह्य खुला स्थान

(1) सामने का खुला स्थान

क. 12.5 मीटर तक की ऊँचाई वाले प्रत्येक आवासीय भवन, जिसके ठीक सामने सड़क हो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित सामने का खुला स्थान हो और ऐसी खुली स्थान स्थल का एक अभिन्न अंश के रूप में हो:

तालिका 4

क्रम सं	**भूखंड के अग्रभाग की चौड़ाई**	**सामने का खुला स्थान**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	9.0 मीटर तक	3.0 मीटर
2.	9.0 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक	3.6 मीटर
3.	12.0 मीटर से अधिक और 18 मीटर तक	4.5 मीटर
4.	18 मीटर से अधिक	6.0 मीटर

ख. मौजूदा विकसित क्षेत्रों में 6.0 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों से भवन की दूरी (निर्माण सीमा) सड़क की मध्य रेखा से 6.0 मीटर की दूरी पर होगी।

(2) पीछे का खुला स्थान

तालिका 5

क्रम सं	**भूखंड क्षेत्र वर्ग मीटर में**	**न्यूनतम पीछे का खुला**

		स्थान मीटर में
(1)	(2)	(3)
1	40.00 तक	शून्य
2	40.00 से अधिक और 150.00 तक	1.5
3	150 से अधिक और 225.00 तक	2.5
4	225.00 से अधिक	3

(क) प्रत्येक आवासीय भवन, जिसकी ऊँचाई 12.5 मीटर है, उसमें पीछे का खुला स्थान निम्नानुसार होगा:

(ख) पीछे की दीवार का विस्तार करने के लिए खुला स्थान। पीछे का खुला स्थान निम्नानुसार होगा

पीछे की दीवार का संपूर्ण अग्रभाग सहित समव्यापी (को-एक्सटेन्सिव)। यदि कोई भवन दो या दो से अधिक सड़कों से जुड़ी होती है, तो ऐसे में पीछे का खुला स्थान पीछे की दीवार के अग्रभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जब तक प्राधिकारी अन्यथा निर्देश नहीं देता, ऐसी पीछे की दीवार भवन के अग्रभाग के विपरीत तरफ की दीवार होगी।

(3) किनारे का खुला स्थान

प्रत्येक अर्द्ध-विलगित और विलगित भवनों के दोनों किनारे में स्थायी रूप से खुला क्षेत्र होगा, जो स्थल का अभिन्न अंश के रूप में होगा:

क. विलगित भवनों के दोनों तरफ 3 मीटर का न्यूनतम खुला स्थान होगा, बशर्ते कि 12 मीटर से कम अग्रभाग वाले भूखंडों पर 7 मीटर तक की आवासीय भवन के लिए, किसी एक तरफ खुला स्थान को 1.5 मीटर तक कम किया जा सकता है।

ख. अर्ध-विलगित भवन के लिए एक तरफ न्यूनतम 3.0 मीटर का खुला स्थान होगा। अर्ध-विलगित भवन के लिए 10 मीटर की अग्रभाग सहित 10 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूखंडों को लिए किनारे का खुला स्थान 2.5 मीटर तक कम हो सकता है।

ग. पंक्तिबद्ध भवनों के लिए, किनारे की खुले स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है।

(4) उप-नियम (2) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद किनारे के स्थान के पीछे के छोर पर गैरेज की अनुमति दी जा सकती है।

अन्य अधिवास के लिए खुला स्थान

क. शैक्षिक भवन। नर्सरी स्कूल को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

ख. संस्थागत भवन। भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

ग. सभा भवन। सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और भवन के आसपास के अन्य स्थान 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

घ. व्यावसायिक, व्यापारिक और भंडारण भवन। सामने खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और अन्य तीन तरफ 4.5 मीटर होना चाहिए। जहां ये पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं या दुकानों की क्रम में आवासीय हैं, ऐसे में खुले स्थानों में छूट दी जा सकती है।

ङ. औद्योगिक भवन। 16 मीटर तक की ऊचाई वाले भवन के चारों ओर का खुला स्थान 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 16 मीटर से अतिरिक्त प्रत्येक एक मीटर की ऊँचाई के लिए 0.25 मीटर का खुला स्थान होना चाहिए।

च. खतरनाक उद्योग वाले अधिवास। - भवन के चारों ओर खुला स्थान उपर्युक्त खंड (ङ) में उल्लिखित औद्योगिक भवनों के लिए विनिर्दिष्ट होगी।

खुले स्थानों की सीमा

1. खुले स्थानों की कमी के लिए सुरक्षा। किसी भी भवन में कोई भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि निर्माण कार्य संचालन से एक ही मालिक के समीपवर्ती किसी अन्य भवन के खुले स्थान को कम करता है जिसे प्रस्तावित

कार्य के समय निर्धारित की गई थी या ऐसे खुले स्थान को और कम करता है जो पहले से ही निर्धारित मानक से कम है।

2. किसी भवन में परिवर्धन या विस्तार। भवन के परिवर्धन या विस्तार की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि परिवर्धन या विस्तार के लिए खुला स्थान इस तरह के परिवर्धन या विस्तार किए जाने के बाद उनके नियमों को पूरा करे।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ आवाजाही- सड़क की सतह को बराबर करना, पैदल पार-पथ, गैर-मोटर चालित परिवहन

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में, आवाजाही के लिए स्थानीय विकास योजना में परिभाषित कोई विशेष उप-नियम/धारा नहीं है।

मोटर यातायात में मुख्य रूप से 2-पहिया और मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शहर की सड़क पर पेडल साइकिल का प्रतिशत काफी है। उच्च व्यावसायिक कार्यकलाप और पर्यटकों की आवागमन के कारण शहर के आम क्षेत्रों में पैदल चलने वालों में आवागमन बहुत अधिक पाया जाता है। शहर के पुराने हिस्से में सड़क की व्यवस्था अभी भी वही बनी हुई है, जबकि यातायात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। मम्लेश्वर मंदिर मार्ग से गुजरने वाली काशी विश्वनाथ सड़क उज्जैन अंतरराज्यीय राजमार्ग से जुड़ती है।

आम तौर पर शहर में, परिवहन को मुख्य रूप से वैयक्तिकृत मोड के वाहन द्वारा पूरा किया जाता है: - दो पहिया वाहन, साइकिल, टेंपो,कार, जीप, टैक्सी, वैन, बस, मिनी बस, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर और ट्रॉली, तांगा, थेला आदि। स्मारक तक पहुंचने के लिए निजीकृत मोड के वाहन का उपयोग किया जाता है।

5. सड़क निर्माण (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग और नए निर्माण

सड़क निर्माण और अग्रभाग

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में या स्मारक के आसपास कोई सड़क निर्माण और पारंपरिक अग्रभाग नहीं है। जबकि ऊपर बताए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निवास के मकान आधुनिक किस्म का हैं अर्थात आधुनिक भवन और दो मंजिला मकान हैं। सड़क निर्माण और अग्रभाग के लिए राज्य सरकार के उपर्युक्त नियमों में कोई विशेष दिशा-निर्देश और प्रावधान नहीं किए गए हैं।

नया निर्माण:

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने व्यक्तिगत रूप से शहरी और ग्रामीण विकास के लिए आवास नीति बनाई है; ग्रामीण समुदाय के लिए इंदिरा आवास योजना आवासीय स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजना तैयार की गई है। अब इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करना होगा। पंच परमेश्वर योजना के तहत नालियों और सर्विस डक्ट्स के साथ आंतरिक सीसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा नगरपालिका के कार्यों को अनिवार्य करने के लिए पंचायत अधिनयम और नियमों के प्रावधान बनाए गए हैं।

इसके अलावा, सभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री आवास योजना” नामक आवास योजना चलाई जा रही है।

ANNEXURE-III

LOCAL BODIES GUIDELINES

1. **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated area for new construction, Set Backs**

Rules are implied for the Omkareshwar development plan 2021 which are mentioned in Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam-1973 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam-2012.

Development Rules for New Residential area:

1. The Plot width and depth ratio should be 1: 1.5 to 1.3.
2. The FAR and open space will be as per the plot size as mentioned below in Table 2.
3. The Maximum height of building shall be 6m.

Table 1

SNo.	Plot area in meter	Surface Area in Meter	Ground Coverage area in Percentage	Marginal Open Space in Meter				FAR
				Front	Rear	Side1	Side2	
1	4.0x8.0	32	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.50
2	4.0x12.0	48	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
3	5.0x15.0	75	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
4	7.0x15.0	105	50	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
5	9.0x15.0	135	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6	11.0x18.0	200	50	3.0	2.5	2.5	0.0	1.50
7	12.0x18.0	216	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25
8	12.0x24.0	288	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9	15.0x24.0	360	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10	15.0x27.0	405	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.00
11	18.0x30.0	540	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.00
12	20.0x30.0	600	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.00
13	25.0x30.0	750	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.00

Note:

1. Apart from this, the maximum height of building shall be in according with development Rule 1984.
2. A car parking space should be Minimum 240sqm that can be exceeded 288 sq. Meters.

Construction of Multi-Storied building:

Rules No. 42 shall be applicable for Construction of Multi-Storied building as per Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984

Rules of new construction or reconstruction in developed area:

Specification for developed area where new construction or reconstruction is to be done mentioned in table 4

Table 2

Sno.	Minimum Plot land area in Sqm.	Ground Coverage percentage	FAR
1	Upto 90	75	1.5
2	90 to 180	66	1.25
3	Above 180	60	1.25

Size of plots and other norms. - (**1) Residential.**

1. Each plot shall have a minimum size and frontage corresponding to the type of development as given below in table 4.

Table 3

Type of	**Plot size (Sq.**	**Frontage (meters)**
1	(2)	(3)
Detached building	above 225	above 12
Semi-detached building	125-225	8 to 12
Row type building	50-225	4.5 to 12

(2) The size of plot shall be such as approved by the Authority.

(3)Other land uses. The minimum size of plots for buildings for other uses like business, educational, mercantile, assembly, cinema/ theatre, mangal karyalaya / marriage garden, fuel filling stations etc., shall be as decided by the Authority subject to the clause (i).

(i) Assembly Halls /Theatres; The Minimum size of plot for assembly building/theatres used for public entertainment with fixed seats shall be on the basis of seating capacity of the building at the rate of 3 Square meters per Seat. \

2. **Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local bodies**

According to Omkareshwar Development plan 2021, the heritage bye-laws/ guidelines mentioned are as follows:
Archaeological heritage sites are protected heritage under Archeology Survey of India. Its construction / development will be fully restricted in the periphery of 100 meters, and after 100 meters, the permission for construction / development in the periphery of 200 meters will be obtained from the Department of ASI **Regulation for sensitive areas:**

1. The activities of development in the sensitive area are as under: - The open area left on the banks of rivers, streams and ponds should be as mentioned in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Adhiniyam 1984. According the rules it is mandatory to leave the open land of minimum 50 Meters at the coast of the river.

2. Mud, Stool, Drain and Septic tank, won't be exhausted in the water body.
3. With the permission of the competent authority in the control area, indirect entertainment, promotions, sightseeing expenses and other works of tourist will be acceptable. In the open areas outside the control area, other construction will be restricted except the below mentioned construction for certain categories:

    a) The building adjacent to the ponds need to be attached to individual septic tank, griddle stool line, when they are constructed.

    b) Buildings coming in the controlled area, the increasing of ground coverage, FAR is not allowed unless permissions are granted from the competent authority.

    c) Works done for the safety of ponds and improving the water quality will be acceptable.

    d) For historical significance.

    e) Buildings for civil and cultural importance.

    f) Heritage buildings coming in private land.

    g) Historical buildings searched from time to time.

Regulation for urban heritage area:

Detailed proposals should be prepared by the competent authority to preserve and improve the souvenirs and heritage buildings. By the time proposal get ready for

implementation, the heritage building area selected and listed by the competent authority will be governed by the following rules:

1. The restricted area of each Heritage building will be spread over hundred metres of its circumference.
2. The selected and listed Heritage buildings will not be allowed to be demolished or reconstructed even if they are in private possession.
3. The Heritage structures under the restricted area will not be governed from the usual general building bye laws of the city.
4. The height and design of the building located in the restricted area should be similar to the architecture of Heritage buildings.
5. Landscape development will be acceptable in the restricted area in which the surroundings will have tree plantation, parking around the building should be reasonably designed and at the same will be acceptable after approval from the competent authority.

3. Open spaces

Open Spaces (within a Plot)

General.

1) Every room intended for human habitation shall abut on an interior or exterior open space or an open verandah open to such interior or exterior open space.

2) Open spaces to cater for lighting and ventilation requirement. The open spaces inside or around building have essentially to cater for the lighting and ventilation requirements of the rooms abutting such open spaces and in the case of building abutting streets in the front, rear or sides, the open spaces provided shall be sufficient for the future widening of such streets.

3) Open spaces separate for each building or wing. The open spaces shall be separate or distinct for each building and where a building has two or more wings, each wing shall have separate or distinct open spaces for the purposes of light and ventilation of the wings.

4) Separation between accessory and main buildings of more than 7meters in height shall not be less than 1.5 meters. For buildings up to 7 meters in height no such separation shall be required.

Residential Buildings. - Open Spaces.

Exterior open spaces for buildings having height up to 12.5 meters.

(1) Front open spaces.

a. Every Residential Building having height up to 12.5 meters, facing street shall have a front open space mentioned below and such open space shall form an integral part of the site:

Table 4

S. No.	Width of street facing the plot	Front open space
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	up to 9.0 meters	3.0 meters
2.	More than 9.0 meters and up to 12 meters	3.6 meters
3.	More than 12.0 meters and up to 18 meters	4.5 meters
4.	Above 18 meters.	6.0 meters

b. In existing developed areas with streets less than 6.0 meters in width, the distances of the building (building line) shall be at 6.0 meters from the center line of the street.

(2) Rear Open Space.

Table 5

S. No.	Plot area in Square meters	Minimum Rear Open space in meters
(1)	(2)	(3)
1	Up to 40.00	Nil
2	Above 40.00 and Up to 150.00	1.5
3	Above 150 and up to 225.00	2.5
4	Above 225.00	3

(a) Every Residential Building, having height up to 12.5 meters, shall have a Rear Open Space, as below:

(b) Rear open space to extend upto the rear wall. The rear open space shall be

Co-extensive with the entire face of the rear wall. If a building abuts on two or more streets, such rear open space shall be provided through-out the entire face of the rear wall. Such rear wall shall be the wall on the opposite side of the face of the building unless the Authority otherwise directs.

(3) Side open space.

Every semi-detached and detached building shall have a permanently open airspace on sides, forming integral part of the site as below:

a. For detached buildings there shall be minimum side open spaces of 3 meters on both the sides Provided that for detached residential building up to 7 meters in height on plots with a frontage less than 12 meters, one of the sides open space may be reduced to 1.5 meters.

b. For semi- detached building there shall be a minimum side open space of 3.0 meters on one side. For Semi-detached building up to 10 meters in height on plots with a frontage up to 10 meters, the side open space may be reduced to 2.5 meters.
c. For row-type buildings, no side open space is required.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) garage may be permitted at rear end of the side open space.

Open spaces for other occupancies.

a. Educational Buildings. Except for nursery school, the open spaces around the building shall be not less than 6 meters.
b. Institutional Building. The open spaces around the building shall not be less than 6 meters.
c. Assembly Building. The open space at front shall not be less than 12 meters and other spaces around the building shall not be less than 6 meters.
d. Business, Mercantile and Storage Buildings. The open spaces shall not be less than 6 meters in the front and 4.5 meters on other three sides. Where these are situated in purely residential zone or residential with shops line zone, the open spaces may be relaxed.
e. Industrial Buildings. The open spaces around the building shall not be less than 4 5 meters for heights up to 16 meters with an increase of the open spaces of 0.25 meters for every increase of 1 meter or fraction thereof in height above 16 meters.
f. Hazardous occupancies. - The open space around the building shall be as specified for industrial buildings mentioned in clause (e) above.

Limitation to open spaces.

1) Safeguard against reduction of open spaces. No construction work on a building shall be allowed if such work operates to reduce an open space of any other adjoining building belonging to the same owner to an extent less than what is prescribed at the time of the proposed work or to reduce further such open space if it is already less than that prescribed.
2) Additions or Extensions to a building. Additions or extensions of building shall be allowed provided that the open spaces for the additions or extensions would satisfy these rules after such additions or extensions are made.

4. Mobility with the prohibited and regulated area- road surfacing, pedestrian ways, non-motorized transport etc.

In Prohibited and Regulated area, there is no particular bye-laws/clauses defined in local development plan for mobility.

Motor traffic mainly consists of 2-wheelers and motorcycles. In addition to this, there is a considerable percentage of pedal cycle plying on the city road. Pedestrian traffic is found to be very high in common areas of the city due to high commercial activity and tourist movement. The road capacity in older part of the city remained still while the quantum of traffic increased significantly. Kashivishwanath road passing through the Mamleshwar temple road connects to the Ujjain interstate highway.

Normally In the city area, the transportation is primarily catered by personalized modes:- Two wheelers, Bicycles, Tempos, Car, Jeeps, Taxi, Vans, Bus, Mini Bus, Auto Rickshaws, Tractor and Trolley, Tongas, Thelas etc. The personalized modes of conveyance is used to access the monument.

5. Streetscapes, facades and new construction.

Streetscapes and facades

There is no streetscape and traditional facade found in the restricted zone or around the monument. Whereas the houses of the habitation in the restricted area as stated above are of modern kind viz modern buildings and houses of two floors. No specific guidelines and provisions are made in the above stated rules of the State Government for streetscapes and facades.

New Construction:

Madhya Pradesh State Government has individually made the housing policy for urban and rural development therein; the rural area development plan has been prepared under Indira Awas Yojana housing scheme program for rural community. Now it has to be prepared the master plan for it. Internal CC roads with drains and service ducts will be constructed under the Panch Parmeshwar Yojana. The provisions of the Panchayat Adhiniyam and rules framed therein, to make mandatory municipal functions by the Gram Panchayats.

Apart from this the housing scheme, the "Pradhan Mantri Awas Yojana" is being run by Central Government for all rural area development.

अनुबंध-IV

ANNEXURE-IV

ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्यप्रदेश में स्थित कालेश्वर मंदिर के समीपवर्ती भूमि सहित अम्लेश्वर उर्फ मलेश्वर समूह के मंदिरों का सर्वेक्षण

Survey of Amleshwar alias Mamleshwar group of Temple including Kaleshwar Temple together with adjacent land at Omkareshwar, Khandwa, Madhya Pradesh

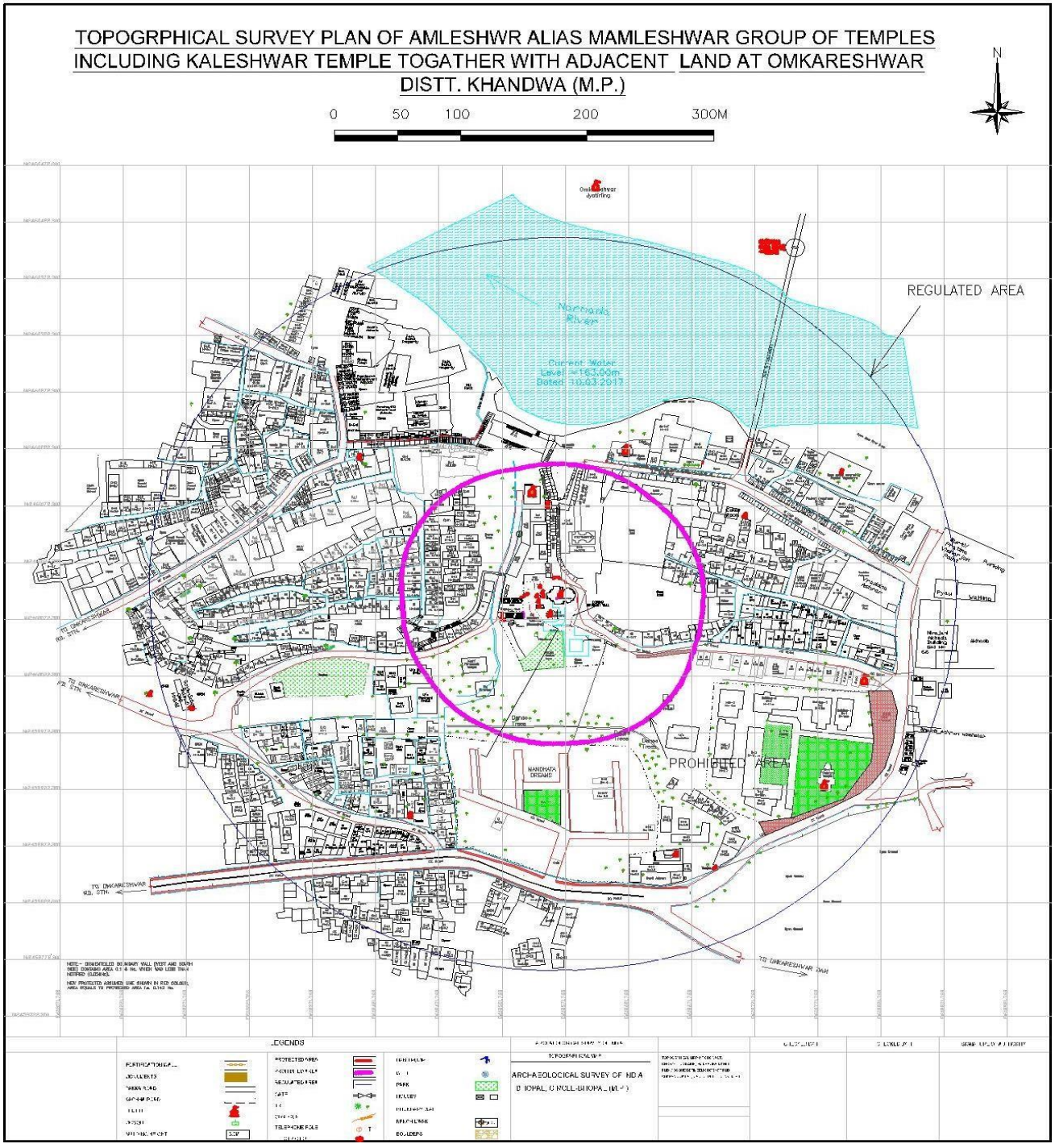

अनुबंध -V

ANNEXURE-V

ओंकारेश्वर विकास योजना

Omkareshwar Development Plan

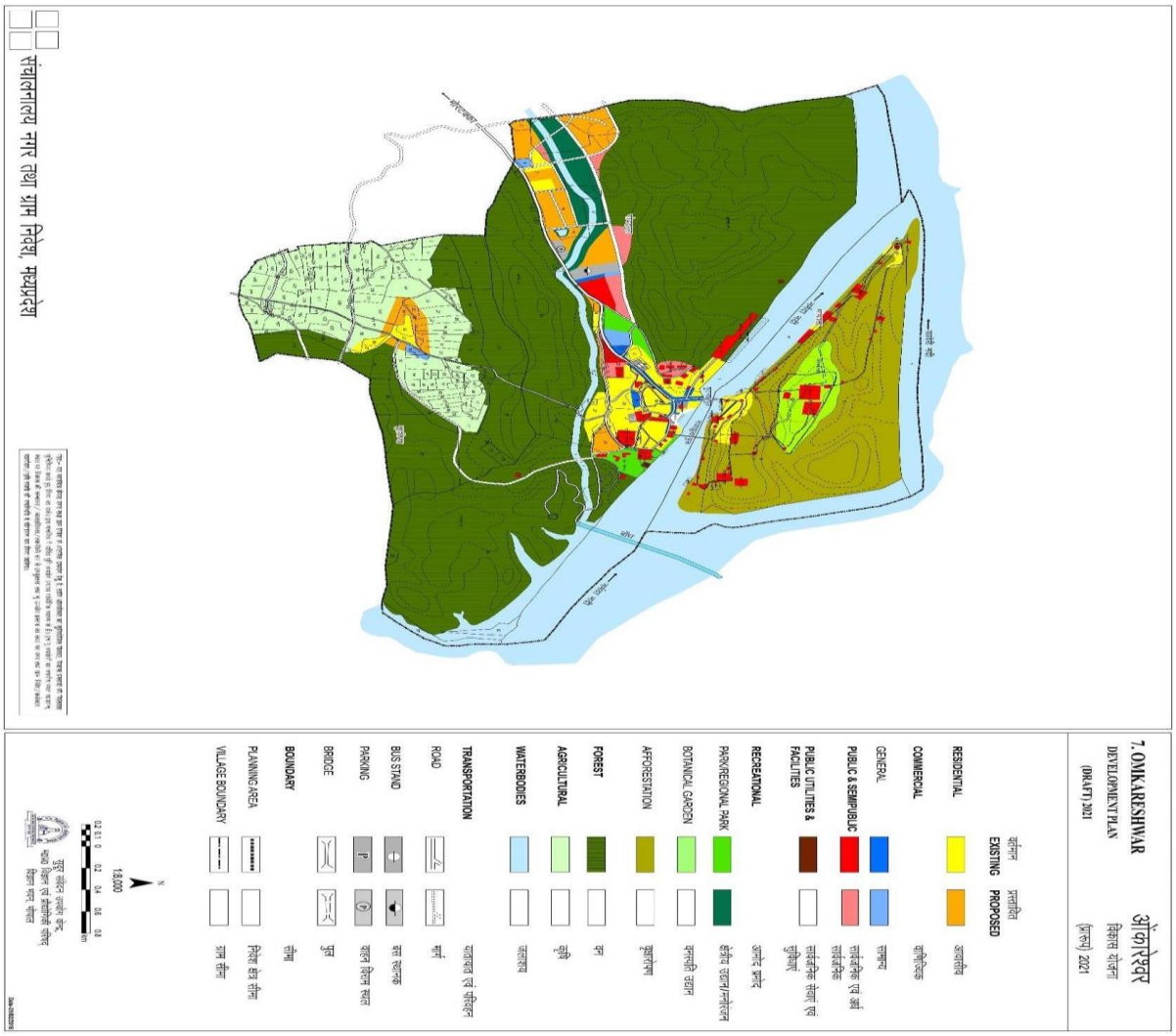

अनुबंध-VI
ANNEXURE-VI

स्मारक और उसके आसपास के चित्र
Images of the Monument and its surroundings

चित्र 1-4, मम्लेश्वर मंदिर का दृश्य

Figure 1-4, Views of Mamleshwar Temple

चित्र 5-6 *मम्लेश्वर समूह के मंदिरों का दृश्य*

Figure 5-6. Views of Mamleshwar Group of Temples

चित्र 7-8, नंदी महाराज मंदिर

Figure 7-8, Nandi Maharaj Temple

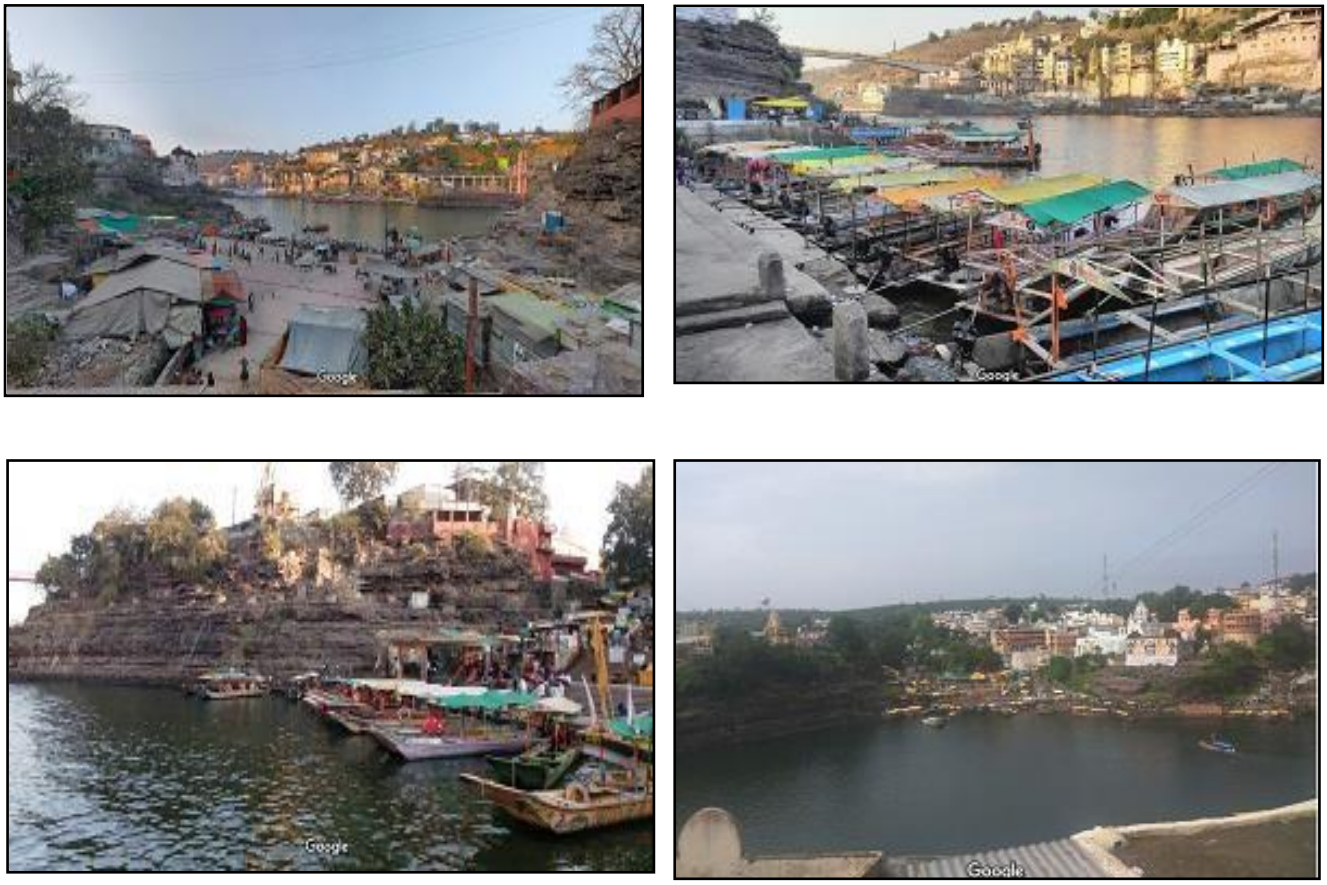

चित्र 9-12, गौ घाट का दृश्य

Figure 9-12, Views of Gau Ghat

चित्र *13-14,* मंदिर के आस-पास के क्षेत्र का दृश्य

Figure 13-14,Views of surrounding area of the monument

चित्र 15, परिरक्षित स्मारक (दक्षिणी दिशा)

चित्र 16, परिरक्षित स्मारक (उत्तरी दिशा)

Figure 15, Protected Monument (South Side)

Figure 16, Protected Monument (North Side)

चित्र 17-20, स्मारक के दक्षिणी दिशा का दृश्य

Figure 17-20, View of south direction of the monument